मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनॅाक 23/4/2018

:: आदेश ::

क्रमांक–एफ 19–56/2018/17/मेडि–1/डॅा.प्रमोद कुशवाह चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय सीधी के विरूद्ध शासन के पत्र क्रमांक मेडि /149/2017/3191 भोपाल, दिनॅाक 23/01/2018 द्वारा कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंर्तगत आरोप पत्र जारी कर विभागीय जॅाच प्रस्तावित की गई थी। जारी किए गए आरोप पत्र के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन दिनॅाक 06.02.2018 में अनुपस्थिति का कारण स्नातकोत्तर (माइक्रोबायोलॉजी) में चयन उपरान्त मई 2015 से अध्ययन के लिये ग्वालियर जाना बतायाहै । इनका नियमित पाठ्यक्रम जून 2018 में पूर्ण हो रहा है जिसकी लगभग 3 माह की अवधि शेष है । साररूप में डॅा.प्रमोद कुशवाह चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय सीधी मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (3) के उप नियम (1) के खण्ड.–(i) (ii) एवं नियम 7 के उल्लंघन के दोषी है ।

2. डॅा.प्रमोद कुशवाह चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय सीधी को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के दिनांक मई 2015 से कार्यभार ग्रहण करने तक की अवधि को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का दोषी पाते हुए, अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि तक अकार्य दिवस (Dies Non) मान्य करते हुए जिला चिकित्सालय सीधी में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाती है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृ.क्रमांक –एफ 19–56/2018/17/मेडि–एक भोपाल,दिनॉक 23 /04/2018

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश,भोपाल
2. निज सचिव प्रमुख सचिव/सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।

---

4. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश भोपाल
6. अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल कीओर भेजकर लेख है कि उपरोक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें ।
7. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं रीवा संभाग, मध्यप्रदेश
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीधी,म.प्र.
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला सीधी की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश डॉ.प्रमोद कुशवाह चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय सीधी को तामील करवाकर तामीली प्रतिवेदन एवं उपरोक्त आदेश की प्रविष्ठि सेवापुस्तिका में लाल स्याही से अंकित कर उसकी सत्यापित छायाप्रति एवं कार्यभार ग्रहण करने की सूचना शीघ्र भिजवायें ।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला सीधी म.प्र.
11. डॉ.प्रमोद कुशवाह चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय सीधी की ओर पालनार्थ.
12. .स्टाक फाईल ।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनॉक 23 /4/2018

:: आदेश ::

क्रमांक–एफ 19-73 / 2018 /17/मेडि–1/डॉ.अभिषेक वरूण चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,पालसोडा जिला नीमच के विरूद्ध शासन के पत्र क्रमांक 203/2017/3241 भोपाल, दिनॉक 23/1/2018 द्वारा कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंर्तगत आरोप पत्र जारी कर विभागीय जॉच प्रस्तावित की गई थी। जारी किए गए आरोप पत्र के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन दिनॉक 20.02.2018 में अनुपस्थिति का कारण फारेंसिक मेडिसीन एवं टॉक्सीकालॉजी में स्नातकोत्तर अध्ययन पूर्ण करने के उपरान्त शैक्षणिक योग्यता एवं विभागीय हित को दृष्टिगत रखते हुए पदस्थापना में सशोधन करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाना है। साररूप में डा. अंकित अलावा चिकित्सा अधिकारी,जिला चिकित्सालय खण्डवा मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (3) के उप नियम (1) के खण्ड.–(i) (ii) एवं नियम 7 के उल्लंघन के दोषी है ।

2. डॉ.अभिषेक वरूण चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,पालसोडा जिला नीमच को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के दिनांक 30.04.2015 से कार्यभार ग्रहण करने तक की अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का दोषी पाते हुए अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को अकार्य दिवस (Dies Non) मान्य करते हुए जिला चिकित्सालय नीमच में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाती है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृ.क्रमांक –एफ 1973/2018/17/मेडि–एक भोपाल,दिनॉक 23/04/2018

प्रतिलिपि:–

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश,भोपाल
2. निज सचिव प्रमुख सचिव/सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।

---

4. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश भोपाल
6. अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल कीओर भेजकर लेख है कि उपरोक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें ।
7. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं उज्जैन संभाग, मध्यप्रदेश
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नीमच,म.प्र.
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला नीमच की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश डॉ.अभिषेक वरूण चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,पालसोडा जिला नीमच को तामील करवाकर तामीली प्रतिवेदन एवं उपरोक्त आदेश की प्रविष्ठि सेबापुस्तिका में लाल स्याही से अंकित कर उसकी सत्यापित छायाप्रति शीघ्र भिजवायें ।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला नीमच म.प्र.
11. डॉ.अभिषेक वरूण चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,पालसोडा जिला नीमच की ओर पालनार्थ.
12. स्टाक फाईल ।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

f 19-59 **:: आदेश ::** दि0 10/4/2018

क्रमांक /~~3197~~/2018/17/मेडि–1:: डॉ.विनोद पिल्लई, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुडारी जिला सिवनी का मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से वर्ष 2001 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन किया गया। चयन उपरांत उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुडारी जिला सिवनी में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात दिनॉक 26/02/2001से बिना सूचना के अपने कर्त्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गए। यह सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 6112, दिनॉक 21/08/2017 द्वारा दी गई थी।

2. सूचना प्राप्त होने के उपरांत डॉ.विनोद पिल्लई के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14(3) के अंर्तगत दिनॉक 23/01/2018 को आरोप पत्र जारी किए गए। जारी आरोप पत्र के संबंध में डॉ.पिल्लई ने अपना अभ्यावेदन दिनॉक 01/03/2018 को प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उन्होंने अपना त्यागपत्र दिनॉक 28/02/2017 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी को प्रेषित किया था एवं वे अपने कर्त्तव्य स्थल से विमुक्त हो गए थे। अतः उनका त्यागपत्र स्वीकृत कर लिया जाए।

3. अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. विनोद पिल्लई चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुडारी जिला सिवनी का दिनॉक 26/02/2001 से शासकीय सेवा से त्यागपत्र स्वीकृत करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(हस्ताक्षर)
(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक F19-59 / ~~3197~~ / 2018 / 17 / मेडि–एक / भोपाल,दिनांक 10/4/2018

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी / राज्य मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश,भोपाल
2. निज सचिव प्रमुख सचिव / सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।

---

4. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश भोपाल
6. अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं जबलपुर संभाग, मध्यप्रदेश
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी, म.प्र.
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला सिवनी, म.प्र.
10. डॉ. विनोद पिल्लई, चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुडारी जिला सिवनी की ओर पालनार्थ ।
11. स्टाक फाईल ।

की ओर सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक– 1955/2018/17/मेडि–एक/ भोपाल, दिनॉक 5/4/2018

:: आदेश ::

डॉ गौरव उपाध्याय चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय खण्डवा को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खण्डवा के पत्र क्रमांक 7367, दिनॉक 16/08/2017 से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनॉक 28/04/2017 से 15/11/2017 तक बिना सक्षम प्राधिकारी के कर्त्तव्य स्थल से अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंर्तगत दिनॉक 23/01/2018 को आरोप पत्र जारी कर विभागीय जॉच प्रस्तावित की गई थी। जारी किए गए आरोप पत्र के संबंध में प्रतिवाद उत्तर दिनॉक 05/02/2018 को प्रस्तुत किया जिसमें डॉ.गौरव उपाध्याय ने अपने समर्थन में निवेदन किया कि वे स्वंय का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण कर्त्तव्य स्थल पर आरोपित अवधि में उपस्थित नहीं थे। डॉ. उपाध्याय ने सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृति एवं मुख्यालय छोडने की अनुमति प्राप्त नहीं की। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक खण्डवा ने प्रतिवेदित किया है कि डॉ. उपाध्याय दिनॉक 28/04/2017 से बिना अवकाश स्वीकृति के कर्त्तव्य स्थल से अनुपस्थित थे एवं दिनॉक 16/11/2017 को जिला चिकित्सालय खण्डवा में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की है एवं वे नियमित रूप से कार्यरत हैं। साररूप में डॉ.गौरव उपाध्याय चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय खण्डवा मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (3) के उप नियम (1) के खण्ड (i), (ii) एंव नियम 7 के उल्लंघन के दोषी हैं।

अतः मैं कवीन्द्र कियावत सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ.गौरव उपाध्याय जिला चिकित्सालय खण्डवा को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के दिनॉक 28/04/2017 से 15/11/2017 तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का दोषी पाते हुए अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को अकार्य दिवस (Dies Non) मान्य किया जाता है।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृ.क्रमांक 19-JJ/2018 /17/मेडि–एक/ 4/2018 भोपाल,दिनॉक 5/4/18

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश भोपाल
3. अपर संचालक (प्रशासन) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश, भोपाल
4. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं इंदौर संभाग, मध्यप्रदेश
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक खण्डवा मध्यप्रदेश
6. डॉ. गौरव उपाध्याय चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय खण्डवा म.प्र.
7. स्टाक फाईल ।

सचिव

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक / एफ 19-08/2018 ...583.... / 3243 / 2017 / 17 / मेडि–1 / भोपाल, दिनांक 01 .02.2018

आदेश

डॉ. अर्चना इवने, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, होशंगाबाद के अनाधिकृत अनुपस्थित होने के संबंध में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला होशंगाबाद के पत्र क्रमांक 3612 दिनांक 05.08.2017 से प्राप्त सूचना के आधार पर डॉ. अर्चना इवने, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, होशंगाबाद को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आधार पर विभाग के पत्र क्रमांक / मेडि–122 / 2017 / 3243 दिनांक 23.01.2018 द्वारा आरोप–पत्रादि जारी किये गये थे। आरोप पत्र का प्रतिवाद उत्तर दिनांक 07.02.2018 को प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने स्वंय की प्रसूति एवं बालचर्या अवकाश के कारण दिनांक 15.03.2016 से 05.09.2017 तक कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने के संबंध में अवगत कराया है।

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला होशंगाबाद ने अपने पत्र क्रमांक 1160 दिनांक 09.02.2018 द्वारा अवगत कराया है कि क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा डॉ. अर्चना इवने, चिकित्सा अधिकारी का दिनांक 15.03.2016 से 05.09. 2017 तक का 540 दिवस का बालचर्या अवकाश स्वीकृत किया गया है। क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल ने बालचर्या अवकाश स्वीकृति उपरांत डॉ. अर्चना इवने, चिकित्सा अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की है, जिसके आधार पर डॉ. अर्चना इवने ने दिनांक 06.09.2016 को जिला चिकित्सालय, होशंगाबाद में कार्यभार ग्रहण कर लिया है तब से आज दिनांक तक वह नियमित रूप से अपना कार्य संपादित कर रही है।

अतः डॉ. अर्चना इवने, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, होशंगाबाद से प्राप्त प्रतिवाद उत्तर एवं सिचिल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला होशंगाबाद के पत्र क्रमांक 1280 दिनांक 09.02.2018 द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर डॉ. अर्चना इवने, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, होशंगाबाद को भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ती न करने की चेतावनी देते हुये विचारोपरांत प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

C:\Users\User\Desktop\Bagde-Absent-Data\Dandadesh.doc

F-19-08/2018

पृ. क्रमांक /(एफ)....524..../3243/2017/17/मेडि–1/ भोपाल, दिनांक 01/.03.2018

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश।
02. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल (म.प्र.)।
03. उप संचालक (विज्ञप्त), स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय की ओर भेज कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करावें।
04. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)।
05. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला होशंगाबाद (म.प्र.)।
06. डॉ. अर्चना इवने, चिकित्सा अधिकारी, द्वारा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला होशंगाबाद की ओर पालनार्थ।
07. स्टॉक फाईल।

सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक / एफ–.549...... / 3233 / 2017 / 17 / मेडि–1, भोपाल, दिनांक 22.02.2018

आदेश

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गुना से प्राप्त सूचना के आधार पर डॉ. शरद चंद्र टांटिया के विरूद्ध अनाधिकृत अनुपस्थिति को आधार बनाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है। प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान डॉ. शरद चन्द्र टांटिया को दिनांक 23.01.2018 को आरोप पत्र जारी किये गये। जारी आरोप पत्र के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गुना द्वारा पत्र क्रमांक 1804, दिनांक 27.01.2018 द्वारा यह तथ्य प्रकाश में लाया गया है कि डॉ. शरद चन्द्र टांटिया दिनांक 30.06.2016 से अनाधिकृत अनुपस्थित नहीं है एवं डॉ. टांटिया दिनांक 30.06.2016 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। ऐसी स्थिति में डॉ. शरद चंद्र टांटिया के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने का औचित्य प्रतित नहीं होता है।

अतः डॉ. शरद चन्द्र टांटिया के विरूद्ध प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही के इस प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक / एफ–.550...... / 3233 / 2017 / 17 / मेडि–1, भोपाल, दिनांक 22.02.2018

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश।
02. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर (म.प्र.)।
03. उप संचालक (विज्ञप्त), स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय की ओर भेज कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
04. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला गुना (म.प्र.)।
05. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला गुना (म.प्र.)।
06. डॉ. शरद चन्द्र टांटिया, चिकित्सा अधिकारी, द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गुना (म.प्र.)।
07. स्टॉक फाईल।

सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक F19-03/2018/सत्रह/मेडि-1/ भोपाल, दिनांक 6 फरवरी, 2018

// आदेश //

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बड़वानी की सूचना के आधार पर डॉ. गौरव शैलगाँवकर के विरूद्ध अनाधिकृत अनुपस्थिति को आधार बनाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है। प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान डॉ. गौरव शैलगाँवकर को दिनांक 23 जनवरी 2018 को आरोप-पत्र जारी किये गये। जारी आरोप-पत्र के संबंध में डॉ. गौरव शैलगाँवकर ने समक्ष में उपस्थित होकर दिनांक 05 फरवरी, 2018 को प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत किया है। इस प्रतिवाद उत्तर के अध्ययन के उपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया है कि डॉ. गौरव शैलगाँवकर की अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा डाइसनॉन घोषित कर दिया गया है तथा उन्हें जिला चिकित्सालय, देवास में पदस्थ कर दिया गया है, जहाँ उन्होंने दिनांक 29.12.2017 को कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। ऐसी स्थिति में उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने का औचित्य प्रतीत नहीं होता।

अतः डॉ. गौरव शैलगाँवकर के विरूद्ध प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही के इस प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

क्रमांक F19-03/2018 ~~/2018/~~ सत्रह/मेडि-1/ भोपाल, दिनांक 6 फरवरी, 2018

प्रतिलिपि -

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. संयुक्त संचालक, इन्दौर एवं उज्जैन।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन, बड़वानी एवं देवास।
4. डॉ. गौरव शैलगाँवकर, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, देवास

सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण